न्यायालय मे श्री मान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वलियर

(सर्किट कोर्ट रीवा) रीवा म0प्र0

539

II/निगरानी/उमरिया/भू.रा/2017/6217

1. ऋषि कुमार उर्फ रजनीश पिता रावेन्द्र कुमार ब्रा0 उम्रं 35 वर्ष

2. विकास कुमार पिता रावेन्द्र कुमार ब्रा0 उम्र 32 वर्ष

3. इन्द्रकुमार पिता रामदेव ब्रा0 उम्र 50 वर्ष

4. दुर्गेश पिता कृष्णकुमार ब्रा0 उम्र 30वर्ष

5. पंकज कुमार पिता इन्द्रकुमार उम्र 16 वर्ष

6. गोलू पिता इन्द्रकुमार उम्र 12 वर्ष दोनो नावालिग जरिए बली पिता इन्द्रकुमार

सभी निवासी ग्राम खेरबाखुर्द थाना उमरिया जिला उमरिया म0प्र0

..................पुनरीक्षण कर्ता,

बनाम

1. म0प्र0शासन जरिए श्री मान कलेक्टर महोदय उमरिया जिला उमरिया म0प्र0

2. श्यामसुन्दर पिता मूलचंद ब्रा0

3. रामेश्वर प्रसाद पिता सुद्धू राम ब्रा0 दोनो निवासी ग्राम उत्तमपुर (टिकुरी पो0 परौहा पिपरिया तहसील कटनी जिला कटनी म0प्र0

4. आनन्द राम पिता रामदेव निवासी ग्राम खेरबा खुर्द तहसील बांधवगढ, जिला उमरिया म0प्र0 ....

गैरपुनरीक्षणकर्ता / उत्तरदाता गण,

<u>निगरानी विरूद्व आदेश श्रीमान कलेक्टर महोदय उमरिया जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 2/स्वमेव पुनरीक्षण/2016–17 आदेश दिनांक 12.12.2017 मे पारित अंतरिम</u>

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- दो/निग./उमरिया/भू.रा./2017/6217

<u>ऋषि कुमार उर्फ रजनीश आदि विरूद्ध म.प्र. शासन जरिये कलेक्टर आदि</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019 22/01/19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रमेश कुमार मिश्रा उपस्थित। 3. यह निगरानी कलेक्टर उमरिया, जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 2/ स्व.पुनरीक्षण/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 12-12-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

3

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21/01/19
सदस्य